न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017 निगरानी R 381- II-17

हरीशंकर अग्रवाल पुत्र स्व. श्री पूरनलाल अग्रवाल निवासी ग्राम सटई रोड, वार्ड नं. 20 तहसील व जिला छतरपुर

.... आवेदक

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन
2. बृजभूषण खरे पुत्र जागेश्वर प्रसाद खरे निवासी ग्राम बगौता तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा आज दि. 28-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-17
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छतरपुर के यहाँ ~~आवेदक~~ अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा कब्जे के अनुसार नक्शा में तरमीम किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका प्रकरण क्रमांक 03/अ–3/07–08 के आदेश के द्वारा दिनांक 4.3.088 को बिना आवेदक को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये आदेश करा लिया गया।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यहकि, तहसीलदार के द्वारा राजस्व निरीक्षक को तरमीम प्रस्ताव विधिवत तैयार कर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 3.3.2008 को तरमीम प्रस्ताव इस प्रकार दिया कि मौजा बगौता की भूमि खसरा क्र. 1998/03, 1998/05, 1998/06 का तरमीम प्रस्ताव स्थल पर आवेदक द्वारा बताये गये कब्जानुसार नाप किया जाकर पटवारी नक्शे में अक्स की तरमीम बनाई गई माप के समय पटवारी एवं पंचनामा में हस्ताक्षरित व्यक्ति स्थल पर उपस्थित रहे अतः पेन्सिल अक्श में तरमीम पंचनामा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। पंचनामा दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-381-एक/2019 जिला छतरपुर हरिशंकर विरूद्ध शासन व बृजभूषण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 03/अ-3/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 04-03-2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 6.3.2019 सदस्य	